

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6/अ0-03-16/2019

पटना, दिनांक:—

श्रीमती शालिनी प्रिया, तत्कालीन राज्य-कर उपायुक्त (60-62वीं बैच), बक्सर अंचल, बक्सर सम्प्रति राज्य-कर उपायुक्त, सारण अंचल-1, छपरा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 06.05.2026 से 03.07.2026 तक 59 दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती प्रिया के अवकाश लेखा में (207-59=148) एक सौ अड़तालीस दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/—

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापक:—6/अ0-03-16/2019 3354 पटना, दिनांक:— 01/09/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर,/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सारण, छपरा/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच0 आर0 एम0 एस0 (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/अंचल प्रभारी, बक्सर अंचल, बक्सर/अंचल प्रभारी, सारण अंचल-1, छपरा को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ श्रीमती शालिनी प्रिया, राज्य-कर उपायुक्त (60-62वीं बैच), सारण अंचल-1, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।